

संघठन के सूत्र



भारतीय मजदूर संघ

उत्तरांचल क्षेत्र चिंतन वर्ग

12-14 नवम्बर 1999

करनाल

संघठन के सूत्र

श्रम ही आराधना

भारतीय मजदूर संघ

उत्तरांचल क्षेत्र चिंतन वर्ग

12-14 नवम्बर 1999

करनाल

संगठन और आत्म-संगठन

चिन्तन वर्ग के बिंदू

1. यह चिन्तन वर्ग है - इससे कुछ कहा जाएगा और दूसरे सुनेंगे । यदि कहने वाला यह समझे कि, जो कुछ कहूंगा और लोग समझोंगे यह उसकी भूल है । भाषण देने से दूसरे व्यक्ति के सुन लेने से उसमें चेतना आ जायेगी उसकी सोच और विचारों में परिवर्तन आ जाएगा यह एक दिवास्वप्न है ।
चेतना में परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपनी चेतना में परिवर्तन लाना चाहता है । चेतना में परिवर्तन एक व्यक्तिगत उपलब्धी है । फिर भी चिंतन-वर्ग का आयोजन किया गया है, इसलिये कि चेतना जागृत हो।
2. चिन्तन वर्ग और सभा सम्मेलन में अन्तर है। सभा का महत्व संख्यात्मक है । इसलिए इसमें संख्या पर जोर दिया जाता है, प्रचार और प्रसार पर जोर दिया जाता है । हमारी शक्ति, संख्या, संगठन व्याप कितना बढ़ा है, दूसरों को दिखाया जाता है । यह एक प्रकार संगठन का सब प्रकार से दूसरों के समक्ष प्रदर्शन है ।
3. चिन्तन वर्ग में ध्येयवाद अर्थात् गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है । हमारा व्यवहार कैसा हो इसकी रुपरेखा प्रस्तुत की जाती है हम बीएमएस की जानकारी कितनी रखते हैं, यह भी पता चलता है।
4. संगठन में कुछ वैधानिक रूप से सदस्य होते हैं वे आते और जाते हैं।
5. जो व्यक्तिगत रूप से सदस्य है । उनका तन मन और बुद्धि भारतीय मजदूर संघ के वायुमण्डल, रीति-नीति के साथ आत्मसात होती ऐसा मानना चाहिये।
6. जिस किसी बहाने, लोग अपने पास आते हैं उन्हें संस्कारित करना होगा ।
7. उनका मनोवैज्ञानिक और सैद्धान्तिक दृष्टि से विकास करना होगा।
8. आज का वायुमण्डल संवैधानिक अधिक और सैद्धान्तिक कम है । जबकि संगठन का आधार पारिवारिक है यानि ज्येष्ठ के नाते सम्मान न कि पद के नाते । अपने संगठन की इस पैतृक व्यवस्था को हमें अपनाना है ।
9. अन्य संगठनों में व्यक्तिगत नेतागिरी बढ़ाने की आदत है किन्तु व्यक्तिगत नेतागिरी बढ़ाने का प्रयास यहाँ नहीं है ।

10. सामूहिक नेतृत्व में जो जैसा दिखेगा वही उसकी प्रगति है । सामूहिक नेतृत्व में किसी को अभिमान करने का अवसर कम है । लक्ष्मण एक ही बाण में समुद्र सुखा सकते थे, पुल बनाने की नौबत न आती । राम ने लक्ष्मण को रोका । सामूहिक प्रयास से पुल तैयार हुआ । राम की सेना पार हुई । यह है - सामूहिक नेतृत्व ।
11. श्रेयांश के बंटवारे से विवाद होता है । अपने हिस्से में कम और सहयोगियों के हिस्से में श्रेयांश अधिक देने से संगठन ठीक चलता है ।
12. संगठन में दुर्जन और सज्जन दोनों होते हैं किंतु दोनों दुःखदायी होते हैं- तुलसीदास जी ने कहा है कि-

बिछुरत एक प्राण हर लेहीं । मिलत एक दारून दुःख देहीं ॥

13. प्रयास करने के बाद भी स्वभाव दोष नहीं जाता है भले ही सज्जन दुर्जन ने इकट्ठा ही प्रवेश पाया हो-

जैसे- उपजत एक साथ जल मांही । जलज जोंक जिमि गुण विलिगाहीं॥

14. यदि आपस में प्रेम है तो स्वभाव में परिवर्तन आता है । रहीम का एक दोहा देखें -

रहिमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून ।

ज्यों हरदी जरदी सजे, तजे सफेदी चून॥

15. अपने लिए कठोर किंतु दूसरों के लिए मृदु होना चाहिए । दूसरों का दुःख देख कर पीड़ा उत्पन्न होना चाहिए ।

अर्थात्- बज्रादपि कठोराणि, मृदून कुसुमादपि:

16. बड़े लोग जब छोटे काम करते हैं तो संतुलन बिगड़ता नहीं ।
17. 'स्व' को जानना, 'स्व' को संगठित करना इससे संगठन ठीक चलता है ।
18. आदत न बिगड़े इसलिए कमेटी आदि में जाने पर सावधान रहना । जो कुछ मिलता है और बैठक में जाने पर जो खर्चा मार्ग व्यय और भोजन तथा आवास में आता है उसे छोड़कर शेष राशि तथा उपहार में मिली वस्तु को कार्यालय में जमा

करना और उसका क्या करना इसका निर्णय सामूहिक हो तो संगठन ठीक से चलेगा ।

19. कार्यकर्ता को मस्ती बढ़ानी चाहिए । कार्य की धुन सवार हो । सभी परिस्थितियों में काम करने की मस्ती हो ।
20. मस्ती का धन बढ़ाइये और दुनिया को इसी मस्ती के धन में डुबो दीजिए ।

संगठन और आत्म संगठन

संगठन अनेक प्रकार के होते हैं और सभी संगठनों के उद्देश्य, ध्येय और आदर्श अलग-अलग होते हैं । उनकी कार्य पद्धति, नारे आदि भी अलग-अलग होते हैं । किसी भी संगठन का विस्तार, प्रचार और उस संगठन को टिकाऊ बनाने का काम उसके कार्यकर्ता ही करते हैं । कार्यकर्ता संगठन से व्यक्तियों को जोड़ता है और संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता है । किसी संगठन को बढ़ाने अथवा घटाने में कार्यकर्ता की अहम् भूमिका होती है ।

कार्य करने के बदले जो पैसा लेता है उसे कर्मचारी कहते हैं । ऐसे जो पारिवारिक आदि जिम्मेवारी निभाते हुए संगठन के काम में लगे हैं और परिवार के भरण-पोषण हेतु कुछ पैसा लेते हैं वे कार्यकर्ता हैं । उनकी निष्ठा व लगन में कोई संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । यह तो उनकी अनिवार्य आवश्यकता है ।

मैं नहीं तू ही :

कुछ ऐसे व्यक्ति जो स्वयं की प्रेरणा से अपने को समाज पुरुष के सम्मुख समर्पित करके कहता है 'मैं नहीं तू ही' - वह समर्पित कार्यकर्ता है । उनका तो लक्ष्य संगठन के माध्यम से समाज सेवा करना ही है । संगठन से इनकी कभी कोई अपेक्षा भी नहीं रहती है ।

आत्म संगठन की अनिवार्यता :

संगठन का कार्य करने वाला कार्यकर्ता तभी संगठन का कार्य ठीक से कर सकेगा जब वह स्वयं संगठित हो । स्वयं संगठित होने का तात्पर्य है उसका तन-मन बुद्धि और आत्मा का संगठित होना । यदि शरीर काम करने को तैयार नहीं । मन कुछ और चाहता है तथा बुद्धि कुछ और! उसकी आत्मा ही उस काम को करना गंवारा नहीं करती तो वह व्यक्ति

संगठन का काम नहीं कर पाएगा । संगठन का कार्यकर्त्ता संगठन का कार्य करेगा तभी आत्म समर्पित हो सकेगा । अतः कार्यकर्त्ता का आत्म संगठित होना एक अनिवार्यता है।

योग्यता आत्मा समर्पित कार्यकर्त्ता का लक्षण नहीं :

संगठन में काम करने वाला व्यक्ति बहुत योग्य है । वह अच्छा लिख सकता है । अच्छा भाषण भी दे सकता है । उसका बहुत अध्ययन भी है । यह सब गुण होते हुए भी वह चालाक भी है और संगठन के अंदर भी अपनी चतुराई दिखलाता है । तो उसकी तुलना में कम कर्तृत्ववान, कम बुद्धिमान एवं समर्पित कार्यकर्त्ता रहा तो चलेगा। अधिक बुद्धिमान, कर्तृत्ववान, असमर्पित व्यक्ति पर विश्वास करना उचित नहीं होगा । जितना ही व्यक्ति आत्मा संगठित होगा उतना ही उसमें आत्म समर्पण का भाव होगा ।

कार्यकर्त्ता समर्पित के साथ दृढ़ निश्चयी, संगठन के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाला अनुशासन युक्त हो तथा सभी झंझटों व प्रपंचों से मुक्त, स्वच्छ आचरण व स्वच्छ विचार एवं व्यवहार वाला तथा निर्भीक हो । संगठन की सभी मर्यादाओं, मान्यताओं का पालन करते हुए अपने विचारों को स्पष्टता से रखने वाला हो जिससे संगठन को बल मिले । स्पष्ट रूप से थोड़े शब्दों में कहा जाए तो उसका व्यवहार एवं आचरण रचनात्मक तथा संगठनोपयोगी हो न कि विघटनात्मक ।

कार्यकर्त्ता का अविचल मन :

अपने मन को ठीक रखना है यह तो हम सोचते हैं लेकिन अखण्ड सावधानी न रही तो अपने ही मन को ठीक रखना बड़ा कठिन हो जाता है । मन पक्का है किंतु परिस्थितियों वश कभी-कभी मन विचलित हो जाता है । नित्य पारिवारिक काम आते रहते हैं मित्रों और संबंधियों के काम आते रहते हैं । संगठन का काम जीवन भर करना है । कभी - कभी आये काम करने में क्या हर्ज है, किंतु यह कभी-कभी अनवरत् चलता है । संगठन का काम और कभी-कभी का काम दोनों अनवरत् चलते वाले हैं तो प्राथमिकता किसको दी जाए यह तय करने का काम कार्यकर्त्ता का है । उसका मन संगठन के प्रति यदि अविचल है तो सब झंझटों में संगठन के कार्य को ही वह प्राथमिकता देगा । हम इतने श्रेष्ठ तो हैं नहीं कि रात और दिन संगठन और संगठन के ध्येयवाद को ही स्मरण करते रहें । परिवार है, नौकरी है, सभी बातों की चिंता करनी होगी । परिवार की चिंता छोड़ दी

तो परिवार टूटेगा । नौकरी की चिंता छोड़ दी तो नौकरी छूटेगी । संगठन की चिंता छोड़ दी तो ध्येयवादिता कमजोर होगी । सभी पूर्णकालिक कार्यकर्ता तो हैं नहीं! सब कुछ छोड़ कर केवल संगठन का कार्य करने वाले हैं, यह संभव भी नहीं है । बड़ा कठिन काम है । अतः सांसारिक काम भी चलते रहें और हमारे मन में हमेशा संगठन रहे । यह आवश्यक है । राजस्थान के जैसलमेर में पानी की कमी है । महिलाएं दूर-दूर से पानी लाती हैं । सिर पर 4 - 4, 5 - 5 घड़े एक दूसरे की मदद से रखती हैं और बिना घड़ा पकड़े दोनों हाथ खाली गीत गाते चलती हैं । पैर भी चल रहे हैं, हाथ भी चले रहे हैं तथा मुँह भी । किंतु, उनका मन घड़े पर केंद्रित रहता है कि घड़े गिरे नहीं । मन केंद्रित रहने के कारण घड़ों का संतुलन बिगड़ता नहीं है । कार्यकर्ता का मन भी इसी प्रकार होना चाहिए । सांसारिक काम सभी चलते रहें लेकिन अपना ध्यान संगठन और राष्ट्र कार्य की ओर हमेशा बना रहे ।

ध्येय के प्रति एकान्तिक निष्ठा :

कार्यकर्ता सोचता है कि, ध्येय पथ पर बढ़ते हुए कुछ अपना काम हो जाए तो हर्ज क्या है? कार्यकर्ता ध्येय के प्रति सब कुछ करेगा किंतु चलते-चलते अपना थोड़ा- सा स्वार्थ भी पूर्ण कर लेगा । कार्यकर्ता प्रामाणिक है, पूर्ण ध्येयवादी भी है । किंतु कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर उसे आपत्ति नहीं । तो हम अपने मन को ऐसा बनाएं तथा सचेत करें कि, वह ध्येय के प्रति एकान्तिक निष्ठा रखे ।

एक से अनेक :

किसान भुट्टे के बीज को बोता है कुछ दिनों बाद एक अंकुर एक पौधा निकला और कुछ ही दिनों बाद उसी पौधे से सौ, सवा सौ दाने वाला भुट्टा तैयार हो गया । बीज जानता है कि, मैं एक हूँ, मुझे अनेक होना है । इसी प्रकार कार्यकर्ता को विचार करना चाहिए कि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ । मैं एक हूँ मुझे अनेक होना है । इस नाते मैं अनेक लोगों को कैसे प्रेरणा दे सकता हूँ- कैसे जोड़ सकता हूँ- कैसे अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करते रहना चाहिए । इसलिए हमारे शास्त्रों में सूत्र बताया गया है- 'एकोऽहम् बहुस्याम' मैं एक हूँ, मुझे अनेक होना है ।

अपने कार्य का स्वरूप :

अपने कार्य का स्वरूप तो यूनियन है । मजदूर सदस्य बनता है । सदस्य व्यक्तिगत प्रभाव से अपनी समस्या को सुलझाने के लिए किसी कार्यकर्ता का भाई-भतीजा होने के कारण बनता है । वह आया है और जाएगा । यदि हमें उसे रोकना है तो उसे संस्कारित करना होगा । हमें उसे शारीरिक, मानसिक, तकनीकी और सैद्धांतिक रूप से संगठन के साथ जोड़ना होगा उसे अपनी रीति-नीति सिखानी होगी यह काम एक दिन में नहीं होगा, इसमें समय लगेगा । किसी कवि ने कहा है कि--

कारज धीर होत है, काहे होत अधीर ।

समय पाए तरूवर फरें, केतक सीचों नीर॥

कार्यकर्ता ने यदि स्वयं को संगठित कर लिया हो तो उसे देखकर, उसके व्यवहार व आचरण को देखकर सदस्य से कार्यकर्ता बनाने में सुविधा होगी, हमें उसके खोट को दूर करना होगा । जैसे सुनार सोने की खोट को एक-एक करके दूर करता है । समय तो लगेगा । आखिर पत्थर को शालिग्राम बनने में नर्मदा के प्रवाह के साथ बरसों लुढ़कना पड़ा होगा ।

कार्यकर्ता और कार्यक्षेत्र का अनिवार्य संबंध :

कार्यकर्ता को देखकर उसके कार्यक्षेत्र का तथा कार्यक्षेत्र को देखकर कार्यकर्ता के बारे में जाना जा सकता है । कार्यक्षेत्र में दोष क्या हैं? अवगुण क्या हैं? अच्छाई क्या है? तो इसकी आवश्यकता नहीं कि, उस कार्यकर्ता को देखा जाए, कार्यक्षेत्र देखने से पता चल जायेगा कि, कार्यकर्ता कैसा है? उसके गुण-दोष क्या होंगे? कार्यकर्ता का दर्शन न करते हुए भी बराबर बताया जा सकता है कि कार्यकर्ता कैसा है? उसका स्वभाव कैसा है? उसके गुण-दोष क्या हैं? तो उसके कार्यक्षेत्र के बारे में जानकारी हो जाती है । इतना अनिवार्य संबंध है- कार्यकर्ता और उसके कार्यक्षेत्र का ।

यश और अपयश की स्थिति में समान भाव :

कार्यकर्ता के नाते हमें स्वयं के प्रति सावधान रहना चाहिए । सावधानीपूर्वक अपने को अच्छा रखना चाहिए । कार्यकर्ता के सभी गुण अपने अंदर आने के बाद भी एक बात बड़े महत्व की है कि, यशस्वी काम कौन कर सकता है? इसके संबंध में कहा गया है कि,

जिसकी मनःस्थिति शांत है, संतुलित एवं संयमित है वही सफल एवं यशस्वी हो सकता है । परिस्थितियाँ अलग-अलग ढंग की हो सकती हैं । अनुकूल और प्रतिकूल भी । शायद पीछे हटना पड़े ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है । किंतु, सफलता और असफलता में, यश और अपयश की स्थिति में दोनों में जिसका मन स्थिर और संतुलित रहता है वही यशस्वी हो सकता है । भगवान कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि-

सुख दुःख सम कृत्वा, लाभ लाभो जया जयो ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥

युद्ध करना है । जय-पराजय दोनों स्थिति में समभाव रहे । लाभ-हानि दोनों स्थिति में मन स्थिर रहे । इस भाव से युद्ध करना है । कर्म फल की इच्छा मत करो । 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्' । अन्ततोगत्वा जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे । यह मनोवृत्ति यदि हमारे मन की है तो निश्चित रूप से हम सभी परिस्थितियों, पर विजय प्राप्त कर सकेंगे ।

कार्यकर्ता का दर्शन कैसा हो?

स्वाभाविकतया काम करते समय कार्यकर्ता अकेला नहीं है । बल्कि अनेक लोगों को साथ लेकर काम करने के लिए खड़ा करने वाला होने के कारण कार्यकर्ता समूहमय हो जाता है । समूह में कार्य करते समय कार्यकर्ता का दर्शन किन शब्दों से होता है? इसका जब हम विचार करते हैं तो पहला शब्द ध्यान में आता है चिन्तन, दूसरा शब्द है- चर्चा, तीसरा शब्द है- निर्णय, चौथा शब्द है, -योजना, पाँचवा शब्द है- परिश्रम, छठा शब्द है- सफलता । हमारा कार्यकर्ता एक समूह में कार्य करने वाला कार्यकर्ता है । चर्चा के समय यह ध्यान रहे कि, हमारा बोलना दूसरों के लिए बाधक न हो । बोलते समय अपने विचारों के प्रति अत्यन्त आग्रही नहीं होना चाहिए । बोलते समय भाषा संयमित हो । उदाहरण के लिए- कोई ऐसा बोले कि, 'कौन ऐसा मूर्ख है जो मेरी बात को गलत कहेगा ।' इसका तात्पर्य है कि, अन्य लोग या तो चुप रहें या बोल कर बोलने वाले से झगड़ा मोल लें । चर्चा में आए विभिन्न विचारों के प्रति समादर का भाव हो । सफलता मिलने पर सफलता का श्रेय सभी को दिया जाए । किंतु यदि कार्यकर्ता स्वयं के बड़प्पन को छोड़ दे, श्रेय का

फल अन्य साथियों को दे तो दूसरों को सक्रिय करना और अनुशासन में रखना आसान होगा ।

संगठन के अनुकूल आदत और स्वभाव :

कार्यकर्त्ता में स्वयं की कुछ आदतें होती हैं । जिनके कारण संगठन करने में उसे बाधा आती है । ऐसे कार्यकर्त्ता को अपनी आदतें बदल कर संगठन के अनुकूल बनाना होगा । यदि वह सब प्रकार से समर्पित हो । किंतु अपनी आदतें नहीं बदलता तो संगठन कार्य करने में बाधा आएगी । वह मिलनसार हो । समूह में कार्य करने की आदत होना आवश्यक है । स्पष्टवादिता के नाम पर खरी-खोटी सुनाना संगठन के लिए अहितकर होता है ।

सहयोगियों की मनःस्थिति समझने की क्षमता :

कार्यकर्त्ता में अपने सहयोगियों के समक्ष अपनी बात रखते समय उनकी मनःस्थिति को समझ सकने की क्षमता होनी चाहिए । कहाँ किस समय कितनी बात रखनी है । इसका आंकलन होना आवश्यक है । प्रायः संगठन में नए व पुराने दोनों प्रकार के कार्यकर्त्ता होते हैं । जो बात रखी जा रही है । यदि उसका प्रभाव कार्यकर्त्ताओं पर पड़ता है तो संगठन को लाभ होगा । जिस बात पर हम स्वयं आचरण नहीं करते उस पर चलने की अपेक्षा हमें दूसरों से नहीं करनी चाहिए ।

व्यक्ति स्थान तथा यूनियन का मोह :

मोह से मुक्त होना बड़ा कठिन काम है । अपने द्वारा खड़े किए गए काम के प्रति मोह, जहाँ काम खड़ा किया है उस स्थान के प्रति मोह, अपने द्वारा किए गए कार्यकर्त्ता के प्रति मोह संगठन के लिए हानिकारक होता है । मोहजनित होकर अपने द्वारा खड़ा किए गए व्यक्ति का वह दोष नहीं देख पाता है । मोह उत्पन्न होना स्वाभाविक है । इससे तो नारद मुनि एवं भगवान भी अपने को मुक्त नहीं कर पाए । भगवान ने वराह अवतार लिया, ताकि, डूबती पृथ्वी को उबारा जा सके । पृथ्वी महाप्रलय में डूबने से बच गई । देवताओं ने भगवान से कहा, वापस आ जाइये । भगवान ने उत्तर दिया । अभी नहीं थोड़े दिनों बाद आऊँगा । मेरी बराहिन के छोटे-छोटे छबने हैं, आगे भी उसे प्रसव होने वाला है । उसकी

भी हमें चिन्ता करनी है । जब भगवान को ही मोह हो गया तो मनुष्य की क्या औकात । फिर भी प्रयत्नपूर्वक मोह से बचना चाहिए ।

एकात्म समूह

संगठन कार्य के लिए एक मास्टर माईण्ड ग्रुप एकात्म समूह होना चाहिए । जिस समूह में सब के सामने एक ही ध्येय ओर आदर्श हो । जो सबको प्रेरणा दे रहा हो, जिसके कारण सुख-दुःख, मान-अपमान की भावनाएँ एक जैसी हो । सभी एक पथ के राही होने के नाते एक-दूसरे को परस्पर समझते हों । एक-दूसरे के गुण-दोष समझते हुए भी घनिष्टता एवं प्रेम के कारण दोषों के प्रति क्षमाशील तथा गुणों के प्रति प्रशंसाशील बन जाते हों । ऐसे समूह को एकात्म समूह कहते हैं । इस प्रकार के एकात्म समूह की गुणवत्ता बढ़ती रहे । इसी में संगठन की प्रगति का पुरजोर आश्वासन है । संगठनकर्ता को इस दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए ।

पारदर्शी जीवन :

हमारा जीवन पारदर्शी हो । इससे कार्यकर्ता निर्माण करने में सुविधा होती है । हम जैसा चाहते हैं वैसा पहले स्वयं आचरण करें । आदेशात्मक नहीं स्वयं करना । सार्वजनिक जीवन में पद, स्थान और अभिमान के कारण कार्यकर्ताओं में गिरावट आई है । इससे प्रभावित होना अस्वाभाविक नहीं । संत प्रवर तुलसीदास जी ने भी कहा है- “पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहिं ते नर न घनेरे।”

गुणों की खोज :

सर्वगुण सम्पन्न होना कठिन है, किंतु विभिन्न गुणों से युक्त व्यक्तियों की खोज तो की जा सकती है । ऐसे लोगों को संगठन के साथ जोड़ना और उनकी रूचि संगठन कार्य के प्रति बढ़ाना अति आवश्यक है ताकि पूर्ण उत्साह के साथ वे कार्य करें । एक व्यक्ति सभी क्षमताओं से युक्त नहीं हो सकता है किंतु वह विभिन्न क्षमताओं वाले लोगों को जोड़ तो सकता है । चाहे वे वैज्ञानिक हों, पर्यावरणविद् हों, मनोवैज्ञानिक एवं श्रम कानूनों के जानकार आदि यह सब अपने काम के हैं । इस प्रकार के समूह द्वारा संगठन शक्ति में वृद्धि होती है ।

लोक संग्रह का कार्य केवल लोगों को इकट्ठा करना नहीं अपितु एकत्र किए गए लोगों को काम में लगाए जाने की रचना भी होनी चाहिए। इस प्रकार की रचना के कारण सबके गुण सामने आएंगे और दोष छिप जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में तो सबकी कमजोरियाँ सामने आ जाती हैं।

आर्थिक व्यवहार :

हमारा आर्थिक व्यवहार यदि ठीक होगा तो सहयोगियों का भी ठीक होगा। इस व्यवहार में चालाकी नहीं बरतनी चाहिए। इतनी बात ध्यान में रहे। सबके खर्च समान नहीं होते हैं। स्वभाव और आवश्यकतानुसार खर्च होते हैं। स्वास्थ्य और आयु के अनुसार खर्च में भिन्नता होती है। कोई स्वभाव से कम खर्चीला है तो दूसरा अधिक खर्च करने वाला। तो दोनों के खर्च समान कैसे हो सकेंगे। किसी का स्वास्थ्य ठीक है, किसी का खराब तो खर्च में अंतर आना स्वाभाविक है। आवश्यक खर्च पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं। हम जैसा व्यवहार करते हैं ऐसा सब करें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। खर्च उचित है या नहीं केवल इस पर विचार करना चाहिए।

बढ़ते संगठन की बढ़ती समस्याएँ :

ज्यों-ज्यों संगठन बढ़ेगा समस्याएँ भी बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए एक गरीब आदमी है। उसकी पत्नी है। जैसे-तैसे गुजर-बसर कर लेते हैं। उसके एक बच्चा हुआ। घर में खुशी आई साथ ही समस्या भी। पहले दूध नहीं आता था बच्चे के लिए दूध लाना आवश्यक हो गया। आय पुरानी उसमें कोई वृद्धि नहीं किंतु खर्च में वृद्धि हो गई। एक समस्या बढ़ गई। बच्चा धीरे-धीरे बढ़ता है उसके कपड़े की साईज छोटे से बड़ी होती रहती है-लडका बढ़ रहा है। घर में खुशी है। इसी के साथ ही उसके बार-बार कपड़े की साईज भी बढ़ रही है। यही तकलीफ है। इसी का नाम है- डेवलपमेंट डिफीकल्टीज, विकासशील कठिनाईयाँ। परिवार बढ़ेगा तो समस्याएँ बढ़ेंगी। अपना काम बढ़ेगा तो समस्याएँ भी बढ़ने वाली हैं। इसलिए चिंता नहीं होना चाहिए यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

निर्णय की प्रक्रिया :

निर्णय सामूहिक होना चाहिए सर्वानुमति से निर्णय के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। किंतु संगठन में कभी-कभी कठोर निर्णय भी लेना पड़ता है जिसमें सर्वानुमति बनाना

मुश्किल है। कठोर निर्णय लेते समय एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम नुकसान हो। लोग नाराज होंगे और नुकसान भी होगा जिसे सब मिलकर ही पूरा करेंगे। ऐसा सोचना चाहिए। कठोर निर्णय जल्दबाजी और आवेश में न लिए जायें। अधिक समय लगता है तो लगाया जावे। यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो कठोर निर्णय लिया जावे और उसके जो भी दुष्परिणाम होंगे तो उसको बर्दाश्त करने की मन की तैयारी भी होनी चाहिए।

व्यक्तिगत नेतागिरी में संगठन नहीं व्यक्तित्व बढ़ता है :

दो कार्यकर्त्ता हैं यदि वे अपना व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं तो उनका व्यक्तित्व (नेतागिरी) बढ़ेगी किंतु संगठन के खाते में दोनों की शक्ति का ऋण ही आवेगा। उदाहरण के लिए अ और ब दो कार्यकर्त्ता हैं दोनों अपनी-अपनी नेतागिरी बढ़ाने में व्यस्त हैं तो बीजगणित के इस सिद्धांत के अनुसार $(अ-ब) 2 = अ^2+ब^2 - 2 अ ब$ अर्थात् दोनों की नेतागिरी बड़ी किंतु संगठन के खाते में दोनों की शक्ति की दो गुनी गिरावट यानी - 2 अ ब आयी। यदि मिलकर कार्य करते हैं तो $(अ^2+ब^2) - अ^2+ब^2$ यहाँ 2 अ ब यहाँ अ और ब दोनों बढ़कर $अ^2+ब^2$ हो गए। मिलकर काम करने के कारण संगठन के खाते में दोनों की शक्ति का दो गुनी + 2 अ ब की बढ़ोतरी हुई।

सर्वारम्भापरित्यागी : यह किसी कार्य का प्रारंभ करने वाला होते हुए भी कार्य प्रारंभ करने का श्रेय स्वयं न ले। उसे तो सर्वारम्भापरित्यागी मनोवृत्ति का होना चाहिए। नेतृत्व के बारे में हमारे ऋषि-मुनियों ने बहुत पहले ही कहा है कि, "अमानी मान दो मान्यों लोकस्वामी त्रिलोकधृत" कार्यकर्त्ता को यह क्रम ध्यान में रखना चाहिए। अन्य सहकर्मियों को सम्मान देते रहना चाहिए जिसके कारण अन्य सब उसको मान्यता देंगे। धीरे-धीरे वह लोकनायक बन सकता है। नेतृत्व विकास का यही सही मार्ग है।

कर्तव्य वानों का घाटा ही घाटा : अच्छे तथा कर्तव्यवान कार्यकर्त्ता को सदैव घाटा होता है। काल के प्रवाह में उसके कर्तव्य का आयाम, उसके प्रमुख कार्य जीवन में उसी प्रकार प्रकर्ष से रह जाता है जैसे भूमि में बोया गया बीज सामान्य व्यक्ति को दिखता नहीं है किंतु फल आसानी से चख और देख सकता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से फल बनकर समाज सेवा करें इसी से कार्यकर्त्ता का घाटा पूरा हो सकेगा।

कार्य के शीशे के समान कार्यकर्ता :

बत्ती में लगा कांच का शीशा ही बत्ती की रोशनी को बिखेरता है । यदि कांच मटमैला होगा तो रोशनी भी मटमैली होगी । ठीक उसी प्रकार संगठन के सिद्धांत को कार्यकर्ता कांच बनकर बिखेरता है । यदि उस पर अहंकार की धूल चढ़ी होगी तो ध्येय भी धुंधला दिखाई पड़ेगा । अतः कांच के शीशे के समान निष्कलंक बनकर संगठन के सिद्धांत को बिखेरते रहना ही अच्छे कार्यकर्ता के लक्षण है ।

हमें सोचना होगा कि हमारी प्रेरणा क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलिप्सा, मान-सम्मान की भूख लेकर चलने वाले कार्यकर्ता किसी महान लक्ष्य को लेकर नहीं चल सकते हैं । पद तो एक व्यवस्था है । वह तो टेम्परेरी है । परमानेंट तो कार्यकर्ता है । अतः हमारा प्रयास अस्थायी से स्थायी बनने का होना चाहिए । यदि हमारे अंदर दूसरों की भावनाओं का आदर करने की सहनशीलता रही तो जिस महान लक्ष्य को लेकर हम चले हैं, वह अवश्य पूर्ण होगा । अपने राष्ट्र को परम् वैभव पर ले जाने में हम सफल होंगे ।

भारतीय मजदूर संघ की विजय की सीढ़ियाँ

स्थापना :

भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई, 1955 को लोकमान्य तिलक के जन्म दिन के अवसर पर भोपाल में हुई । उस समय भारतीय मजदूर संघ के पास न तो कोई रजिस्टर्ड यूनियन थी और न ही परमपिता परमात्मा को छोड़कर कोई सदस्य था । धीरे-धीरे काम खड़ा किया गया ।

पहला अधिवेशन :

12 वर्षों बाद 1967 में दिल्ली में प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ । मा. दत्तोपन्त जी महामंत्री बने । जब भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई तो संगठन का पूरा अधिकार उन्हें ही सौंपा गया था ।

विशुद्ध श्रम संगठन :

भारतीय मजदूर संघ प्रथम गैर राजनीतिक विशुद्ध श्रम संगठन है । भारतीयता के आधार पर चलने वाला राष्ट्रवादी श्रम संगठन है जो विदेशी प्रभाव, सेवायोजकों के दबाव से मुक्त,

व्यक्तिवादी एवं राजनीतिक नेताओं का सहारा लिए बिना मजदूरों द्वारा, मजदूरों के लिए प्रथम संगठन जो राष्ट्र हित-चौखत के अंदर ही मजदूरों के हित संरक्षण की बात सोचता है ।

समस्त वेतन भोगियों के लिए बोनस दिये जाने की बात 1969 में उस समय के राष्ट्रपति महामहिम वीवीगिरी को प्रस्तुत "भारत के मजदूरों का राष्ट्रीय मांगपत्र" में कही । इसका साम्यवादियों द्वारा विरोध हुआ । अन्त में सबको बोनस दिये जाने की मांग स्वीकारी गई । आज सभी को बोनस मिल रहा है ।

कम्पोजिट बारगेनिंग एजेंसी गठन की मांग :

यह मांग भी सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ ने ही उठाई । मजदूरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु वार्ता के समय एक कम्पोजिट बारगेनिंग एजेंसी की कल्पना सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ के दिमाग में आई । मालिक, यूनियनों तथा सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल कर इस एजेंसी का निर्माण करने पर जोर । आज अनेक वार्ताओं में इस एजेंसी का सहारा लेकर ही समस्याओं का समाधान किया जा रहा है ।

गैर राजनीतिक श्रम संगठन :

भारतीय मजदूर संघ ने ही सर्वप्रथम गैर राजनीतिक श्रम संगठन की बात कही । अन्य संगठनों को आश्चर्य हुआ । 1 नवम्बर 1990 में मास्कों में ऑल वर्ल्ड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सम्मेलन 133 देशों की 400 यूनियनों से आए 1350 प्रतिनिधियों की भागीदारी । इस सम्मेलन से पूर्व लगभग सवा माह पहले ऐसे सभी श्रम संघों ने जो राजनैतिक दलों या मोर्चों से संबंधित थे अपना संबंध उनसे तोड़ लिया था । बाद में नये गैर राजनैतिक महासंघ का गठन किया गया । 1 नवम्बर 1990 में ऑल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन में भी एक प्रस्ताव पारित कर गैर राजनीतिक श्रम संगठन के प्रति सहमति जताई गई ।

उद्योग के स्वामित्व का प्रकार :

उद्योग के स्वामित्व के अनेक प्रकार होते हैं । जैसे सहकारी, स्वायत्तशासी, लोकतांत्रिक आधार, स्वरोजगार, संयुक्त स्वामित्व, निजी उद्योग आदि प्रकार के उद्योग का स्वामित्व का आधार हो सकता है । उद्योग के श्रमिकीकरण की बात भी कही गई इसका प्रगतिशील

श्रम संगठनों ने विरोध किया । फिर भी पश्चिम बंगाल में जहाँ श्री ज्योति बसु मुख्यमंत्री हैं । सरकार, मजदूर व प्रमोटर्स के संयुक्त प्रबंधन द्वारा सेन्ट्रल जूट मिल का सफल प्रयोग । जयपुर में जयपुर मेटल, बम्बई में कमानी उद्योग इस प्रयोग के माध्यम से चल रहे हैं जहाँ प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी है । इससे साम्यवादियों का परेशान होना स्वाभाविक भी है ।

विश्वकर्मा सेक्टर :

भारतीय मजदूर संघ ने ऐसे दस्तकार और कारीगरों को विश्वकर्मा सेक्टर में लाने को कहा जो न मालिक हैं न मजदूर । वे स्वरोजगार करते हैं । प्रगतिशील साम्यवादियों ने विश्वकर्मा सेक्टर का विरोध किया और कहा कि, ऐसे लोग गरीब और सर्वहारा तथा गरीब और पूँजीपति की श्रेणी में नहीं आएंगे । कॉर्ल मार्क्स ने ऐसा किसी वर्ग का उल्लेख नहीं किया है । किन्तु बंगलौर के अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ ने जब यह बताया कि, मास्को में 'हाऊस होल्ड इन्डस्ट्रीज एक्ट' बना है । चीन और हंगरी ने भी इनके (विश्वकर्मा सेक्टर) लिए कानून बनाया है तो उनको चुप होना पड़ा ।

नयी तकनीकी आयात :

भारतीय मजदूर संघ ने नई तकनीक के आयात के बारे में चार बातें कहीं हैं :

- ऐसी विदेशी तकनीक जिससे लाभ होगा उसे यहाँ अपनाया जा सकेगा अर्थात् एडॉप्ट किया जायेगा ।
- विदेशी तकनीक का ऐसा कौन-सा हिस्सा है जिसे उसी प्रकार नहीं बल्कि कुछ बदल करके अपनाया जाये । जिससे देश का कल्याण हो सके अर्थात् एडॉप्ट किया जाय ।
- विदेशी तकनीक कौन-सा हिस्सा जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है इस कारण उससे नुकसान होगा इसलिए उसे रिजेक्ट (अस्वीकार) किया जाय ।
- दस्तकारी या कारीगरी जैसे हमारे जो गृह उद्योग हैं उनके लिए जिस तकनीक का निर्माण विदेशों में नहीं हो सकेगा ऐसी नई तकनीकी भारत में ही तैयार की जाय, जिससे दस्तकारी का वर्तमान स्वरूप नष्ट न हो । इन कारीगरों को रोजगार मिलना

चाहिए । उनकी कारीगरी के वर्तमान साधनों में थोड़ा बदल होना चाहिए । बदल उन कारीगरों के समझ में आना चाहिए ।

राष्ट्रीय तकनीकी नीति :

इस नीति के अंतर्गत अलग-अलग उद्योगों के स्वरूप पर विचार हो । लोग यह मानते हैं कि तकनीकी का संबंध केवल मालिक और मजदूरों से है । ऐसा नहीं है, तकनीक का मतलब एक नई रचना है और नई संस्कृति । इस सिलसिले में "राष्ट्रीय तकनीकी नीति" की मांग करने वाला पहला संगठन भारतीय मजदूर संघ ही है ।

कम्प्यूटरीकरण :

दुनिया का साथ देने के लिए कम्युनिस्टों ने कम्प्यूटरीकरण का समर्थन किया किंतु भारतीय मजदूर संघ के बैंक इकाई के संगठन ने यह कहकर कि, "हम मजदूरों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे" कम्प्यूटरीकरण का प्रबल विरोध किया । उन्हें बैंक कर्मचारियों के वेतन समझौता वार्ता से इस कारण बाहर ही रहना पड़ा । दिल्ली में सब यूनियनों की एक संयुक्त बैठक हुई । जिसमें कम्युनिस्टों ने भी घुआंधार कम्प्यूटरीकरण का विरोध किया तो उनके नेताओं ने कहा कि, 'हम तो बुरे फँस गए' । भारतीय मजदूर संघ की यह वैचारिक विजय अति महत्वपूर्ण है ।

आर्थिक गुलामी स्वदेशी आन्दोलन :

साम्यवादियों ने हमारी हर एक कल्पना की पहले खिल्ली उड़ाई । पर बाद में धीरे-धीरे उनके भी समझ में आया । भारतीय मजदूर संघ ने 1982 में ही चेतावनी दी थी कि, सरकार को गलत नीतियों के कारण आर्थिक गुलामी आ रही है । आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए द्वितीय आर्थिक युद्ध शब्द का ऐलान सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ ने किया था । वाम-पंथियों ने इस प्रकार आर्थिक गुलामी के विरुद्ध कभी कोई अभियान चलाया हो ऐसा पता नहीं । भारतीय मजदूर संघ ने सर्वप्रथम स्वदेशी का नारा लगाया । आज सबको इस बात की अनुभूति हो रही है कि, भारतीय मजदूर संघ ने जो "आर्थिक गुलामी" की बात कही थी वह ठीक है । यह भी एक वैचारिक विजय है ।

साम्यवाद का खात्मा :

साम्यवाद का खात्मा अपने ही अन्तर्विरोध के कारण होगा यह बात भारतीय मजदूर संघ शुरू से कहता आया है। कम्युनिज्म समाप्त हो रहा है, इसका हमें हर्षोन्माद नहीं होना चाहिए। अन्य किसी संगठन ने कम्युनिज्म के समाप्ति की बात कभी नहीं की।

शहादत :

वैचारिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से, संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय मजदूर संघ प्रगति पथ पर है। प्रत्यक्ष शहादत छोड़ दें तो भी इसके लिए कितने लोगों को काम से हटाया गया, कितने परिवार बर्बाद हुए, यह भी विचार करने की बात है। प्रारंभ से यह बात कही गई थी कि, अपना एक उद्देश्य यह भी है कि, सामान्य मजदूर आबाद हो इस हेतु भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता बर्बाद हों। क्या ऐसा कोई संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं को मजदूरों के लिए बर्बाद होने को कहेगा।

आपातकाल परीक्षा की घड़ी :

इस घड़ी में भारतीय मजदूर संघ का 52000 मजदूरों ने साथ दिया और बोनस वापसी, आपातकाल हटाये जाने की मांग करते हुए जेल गए। परीक्षा के समय ध्येयवादी लोग कहाँ मिलते हैं। इस परीक्षा की घड़ी में भी भारतीय मजदूर संघ खरा उतरा।

देश में प्रथम स्थान का श्रम संगठन :

सभी केंद्रीय श्रम संगठनों की सदस्यता (वर्ष 1989) का सत्यापन हुआ। काफी आपत्तियाँ अन्य श्रम संगठनों ने उठाई। किन्तु अन्त में भारतीय मजदूर संघ ही वर्तमान समय देश का प्रथम क्रमांक का श्रम संगठन है- ऐसा सरकार ने घोषणा की। परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बना श्रम संगठन (आईएलओ) की बैठक में वर्ष 98 से भारतीय मजदूर संघ को प्रतिनिधित्व मिला। इसके पूर्व प्रतिनिधि इण्टक का जाता था। यह भी जुलाई 1955 से चली यात्रा का एक उत्कर्ष युक्त पड़ाव है। आगे की यात्रा जारी है और कितने उल्लेखनीय पड़ाव आएंगे उसकी हम सबको प्रतीक्षा करनी होगी।

भारतीय मजदूर संघ का ध्वज

- झण्डे का रंग भगवा होगा, जो कि सूर्योदय, अग्निशिखा सन्यासी का प्रतीक है ।
- झण्डे का आकार 2" x 3" अनुपात में होगा

$$1 \times 1\frac{1}{2}$$

- **बोध चिन्ह** : के रूप में चक्र, बंद मुट्ठी एवं अन्न की बाली है ।
- चक्र में सात दांता होंगे । बोध चिन्ह का चक्र मशीन के द्वारा कल- कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का प्रतीक है ।
- बन्द मुट्ठी संगठित ताकत का प्रतीक है । साथ-साथ हाथ से काम करने वाले कामगारों का प्रतीक स्वरूप ।
- बन्द मुट्ठी में अँगूठा की प्रधानता को स्वीकार किया गया है । अँगूठे के बिना हाथ से कोई भी कुशल कार्य संभव नहीं हो सकता ।
- धान्य की बाली खेतिहर किसानों मजदूरों के साथ-साथ समृद्धि का प्रतीक है ।
- बोध चिन्ह के चक्र में एक दूसरे से सहयोग की वृत्ति दिखती है अर्थात् चक्र में एक जगह ग्रीस लगाने से वह पूरे चक्र में फैल जाता है । अपने ध्वज में बोध चिन्ह के अतिरिक्त कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए ।

ध्वज का भगवा रंग त्याग, तपस्या और बलिदान का बोध कराता है वहीं केसरिया रंग राजनीतिक प्रेरणादायक है । केसरिया ध्वज राजनैतिज्ञों का प्रतीक है । जैसे महाभारत में, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज का ध्वज केसरिया था । परन्तु शंकराचार्य वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश देने वाले आदि शंकराचार्य का ध्वज भगवा रंग का था ।

स्वदेशी क्या, स्वदेशी क्यों, स्वदेशी कैसे

स्वदेशी क्या : हर मनुष्य किसी भी दूसरे को उसके स्वरूप और आकार के आधार पर पहचानता है। यह स्वरूप हमारे मस्तिष्क में अंकित रहता है और उसे हम याद कर लेते हैं। जिसका स्वरूप आपके मित्र जैसा नहीं होगा, उसे आप मित्र कहकर नहीं पुकारते। हम अपने परिचितों को उनकी आवाज से भी पहचानते हैं। क्योंकि, सबकी आवाज में एक विशिष्टता होती है। हम लोगों को उनके व्यवहार से भी पहचान लेते हैं। मेरा मित्र सज्जन है, वह व्यक्ति प्रमोदी है, वह आलसी है वगैरह। अब हम ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो स्वरूप किसी और जैसा बनाने का प्रयत्न करता हो, जिसका अपना 'स्व' या तो हो ही न, या किसी दूसरे के 'स्व' जैसा हो। जिसका व्यवहार औरों की नकल हो। कमजोर आत्मबल के लोगों में ऐसी आदतें होती हैं और उनकी स्वयं की कोई पहचान नहीं होती, उनका "स्व" कुछ नहीं होता।

इसी प्रकार राष्ट्र होते हैं। उनका "स्व आकार", "स्व आवाज", "स्व चरित्र" और "स्व शक्ति" होती हैं। इसके अभाव में राष्ट्र या तो अपना अस्तित्व खो बैठते हैं या उसका महत्व कुछ नहीं रह जाता। ऐसे देश, राष्ट्र न रहकर मिट्टी के ढेर रह जाते हैं।

अपने 'स्व' की, अपने राष्ट्र के 'स्व' की पुष्टि ही अपने और अपने राष्ट्र के सम्मान, जीवन और समृद्धि वैभव की पुष्टि है। "स्वदेशी" राष्ट्र की आत्मा है। "स्व" के मान के बिना जीवन और स्वतंत्रता अधूरी है। कोई भी मनुष्य और कोई भी राष्ट्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति सिर्फ स्वाभिमान से ही कर सकता है। यही स्वदेशी का भाव है। स्वदेशी का अर्थ अपने अंदर के सुप्त पुरुषार्थ को जगाना है।

स्वदेशी क्यों : स्वदेशी की आवश्यकता इतिहास, वर्तमान और भविष्य में सदैव थी, है, और रहेगी लेकिन इसकी जितनी आवश्यकता आज है, उतनी संभवतः कभी नहीं रही होगी। यह सिर्फ एक पहली है कि, अतुल प्राकृतिक सम्पदा और दो अरब हाथों वाला देश आज भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यह सिर्फ आश्चर्य का विषय हो सकता है कि, इतना विराट देश जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर में चंद राष्ट्रद्रोहियों पर काबू नहीं पा सका है। यह सिर्फ विस्मय की बात है कि, हमसे ही टूट कर अलग हुआ पिद्दी-सा पाकिस्तान आज हमें औंखें तरेरता है। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि, इतना साधन संपन्न देश आज अपनी सुरक्षा, रोजमर्रा की जरूरतों, पेट्रोल, डीजल और

बिजलीघरों के लिए विदेशों से मिलने वाले कर्ज पर निर्भर है। इस देश की स्थिति यह पहुँच गई है कि, करोड़ों घुसपैठिये इसमें सहजता से प्रवेश कर बस जाते हैं और यह देश या समाज इसका प्रतिकार तक नहीं कर पाता। देश के एक राज्य कश्मीर के एक तिहाई हिस्से पर पाकिस्तान बावन वर्षों से काबिज है। चीन ने 1981 से भारत का छः लाख वर्ग मील क्षेत्र दबा रखा है। हमारे इर्द-गिर्द परमाणु बमों, अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपासों और अन्य जनसंहारक हथियारों का जखीरा जमा हो चुका है और हम इसके प्रति चिंता का भाव भी छोड़ते जा रहे हैं। अब मिले सबूतों से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि, सूरत में फैला प्लेग हमारे किसी शत्रु का किया जीवाणु हमला ही था वह शत्रु यह भाँपना चाहता था कि, ऐसे हमले की स्थिति में हमारे देश की सरकार, जनता डॉक्टर और वैज्ञानिक कैसा व्यवहार करते हैं। उसने क्या निष्कर्ष- निकाला होगा- भ्रष्टाचार, मक्कारी कायरता और अकर्मण्यता? हम विदेशीपूँजी को लाकर आज सात रुपए का एक गिलास ठंडा पानी पी रहे हैं। हम विदेशी ऋण चुकाने के लिए जी रहे हैं, बिक रहे हैं, बैच रहे हैं और फिर ऋण ले रहे हैं। हम आज अपनी आवश्यकता लायक साबून, मंजन और चायपत्ती भी स्वयं नहीं बना पा रहे हैं एव इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दया पर आश्रित हैं और अब तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बाढ़ ही आ गई है।

यह स्थिति क्यों कर हुई। हम यह मानकर चलें कि, हम स्वयं तो कुछ कर ही नहीं सकते और किसी भी चीज के लिए विदेशी तकनीक जरूरी है। इसका अर्थ स्पष्ट है जब तक हम स्व-मेधा, स्व-शक्ति, स्व-क्षमता पर विश्वास नहीं करते, हमारी और हमारे देश की यही स्थिति बनी रहेगी। यही है स्वदेशी की भावना की आवश्यकता।

स्वदेशी कैसे : स्वदेशी का अर्थ बैलगाड़ी नहीं है। स्वदेशी का अर्थ टोयोटा भी नहीं है। स्वदेशी का सीधा-सा अर्थ है- अगर हमें बैलगाड़ी की आवश्यकता ही हो तो वह भी अपने देश की, अपने देश द्वारा और अपने देश के लिए हो। इसी प्रकार यदि हमें कोई शानदार टोयोटा वस्तु जैसी ही जरूरत हो तो वह भी "स्व-उधम" का ही फल हो। यदि ऐसी कोई स्वदेशी वस्तु फिलहाल उपलब्ध नहीं तो (1) हम इसके उपयोग से ही बचें (2) अपने प्रयत्न से ही उससे कुछ बेहतर प्राप्त करने, निर्माण करने और विस्तार करने की दिशा में बढ़ें।

स्वदेशी भाव के क्रियान्वयन के लिए वह दोनों बातें जरूरी हैं। जब भी हम किसी विदेशी या बहुराष्ट्रीय उत्पादन को खरीदते हैं तो उसी क्षण हमारे देश का बना उसी किसान का उत्पाद बिना बिका रहा जाता है। हो सकता है हमारे उत्पाद का उतने प्रकार न हों या कोई और दिक्कत उससे जुड़ी हो। लेकिन, उसके बिना बिका रह जानेसे तो यह दिक्कत या त्रुटि दूर होने की भी संभावना समाप्त हो जाती है। अर्थात् अपने उद्योगों की दशा सुधारने के लिए जरूरी हैं हम उन पर विश्वास करें। उन्हें बढ़ावा दें।

प्रश्न सिर्फ अपने उत्पादों को बढ़ावा देने का नहीं होता यह एक संपूर्ण चक्र है। जब हमारे उद्योग मजबूत होंगे तब ही हमारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर, उनकी आय, उनके विकास के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। स्वदेशी के जरिए ये समृद्धि की बात अंतर्निहित है। स्वदेशी पूरे देश की उन्नति की घुमावदार सीढ़ी है। जबकि, एक विदेशी उत्पाद की एक भी इकाई खरीदना अंततः पुरे देश की ओर गरीबी की दिशा में ले जाने वाली कुएँ की घुमावदार सीढ़ी पर उतरने के बराबर है। क्योंकि, इसमें देश का धन बाहर जाता है। वह बाहर के लोगों की उन्नति का जरिया तो हो सकता है, हमें वह गरीब ही छोड़ जाता है।

स्वदेशी अपनाने के लिए हमें भारी कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ भी करने, खरीदने के बेचने के पहले सिर्फ एक बात सोचनी होगी कि, इससे देश का हित होगा अथवा नहीं। हो सकता है इसके लिए कहीं त्याग और कहीं असुविधा का सामना करना पड़े। लेकिन यह सिर्फ तात्कालिक दोष है। जितने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा उत्साह से इस भावना को अंगीकार करेंगे, यह "असुविधा" उतनी ही जल्दी, खत्म हो जायेगी क्योंकि हम और हमारी संपदा उतनी ही तेजी से विकसित हो जायेंगी। फिर कभी-कभी असुविधा आवश्यक भी होती है। आजादी की लड़ाई में लोगों ने फांसी जेल और डण्डे किसी सुविधा या शौक के लिए नहीं सहे थे। उनकी हुई इस असुविधा के ही बूते आज हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल सकी है। स्वदेशी आंदोलन को भी हम सबसे, उसी स्वातंत्र्य भावना असुविधा और त्याग की अपेक्षा है।

भारतीय मजदूर संघ के महासंघ एवं यूनियनें

1. केंद्रीय संगठन के नाते भारतीय मजदूर संघ, सभी सम्बद्ध यूनियनों व महासंघों से सर्वोपरि है। यह सभी सम्बन्धित महासंघों व यूनियनों के अनुसरण के लिए नीतियों का

निर्धारण करता है। नीति निर्धारण के इस काम के बारे में कोई समझौता (डील) नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ के मार्गदर्शन को सभी स्तरों पर स्वीकार किया जाना चाहिए।

2. औद्योगिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय महासंघों से मार्ग दर्शन लिया/दिया जाना चाहिए। संगठनात्मक एवं नीति निर्धारण सम्बन्धी मामलों में भारतीय मजदूर संघ का दृष्टिकोण मार्गदर्शक होना चाहिए।

3.. भारतीय मजदूर संघ जब कोई निर्णय प्रेषित करे तो सभी यूनियन व महासंघ उसे स्वीकार करते हुए उसका परिपालन करें, भारतीय मजदूर संघ द्वारा लिए निर्णय के परिपालन के लिए सम्बन्धित महासंघों से अलग से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

4. किन्हीं विशेष उद्योग अथवा उद्योगों के बारे में निर्णय लेने से पूर्व भारतीय मजदूर संघ स्वाभाविक रूप से सम्बन्धित महा संघों से विचार विमर्श करेगा।

5. भारतीय मजदूर संघ एवं महासंघों तथा यूनियनों के मध्य दोतरफा संवाद संप्रेषण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यूनियनामहासंघ के सदस्यों की राय व दृष्टिकोण और सुझाव की जानकारी भारतीय मजदूर संघ को प्रेषित की जा सके तथा भारतीय मजदूर संघ के निर्णयों को साधारण सदस्यों तक पहुँचाया जा सके।

6. अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं व सदस्यों का प्रशिक्षण तथा विकास कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि वे अपने को केवल यूनियन अथवा महासंघ का ही नहीं अपितु सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ का सदस्य मानते हुए कार्य करें।

7. संबद्धता शुल्क व अन्य प्रकार की बकाया राशियों का भारतीय मजदूर संघ को तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए।

8. भारतीय मजदूर संघ के अधिकारियों के प्रवास के समय महासंघ व यूनियन के स्थानीय कार्यकर्ता में संपूर्ण सहयोग व तालमेल होना चाहिए इसी प्रकार जब महासंघों के अधिकारी प्रवास पर जाएं तो उन्हें सम्बन्धित भारतीय मजदूर संघ शाखा को भी सूचित करना चाहिए ताकि महासंघ के कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रम भी रखें जा सकें।

9. यूनियन एवं सम्बन्धित महासंघ में उचित तालमेल होना चाहिए ।

10. अखिल भारतीय महासंघों के पदाधिकारियों व कार्यसमिती सदस्यों के नाम व पते प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के समस्त कार्यालयों को भेजे जाने चाहिए इसी प्रकार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाइयों को भी प्रदेश महासंघ कार्यसमिति सदस्यों के नाम व पते की सूचियाँ रखनी चाहिए ।

11. भारतीय मजदूर संघ का जब भी कोई कार्यक्रम किया जाए तो उसमें महासंघ के स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाना चाहिए इसी प्रकार जब महासंघ कोई कार्यक्रम आयोजित करे तो उसमें भारतीय मजदूर संघ के स्थानीय प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए ।

12. भारतीय मजदूर संघ की जब प्रदेश, जिला व नगर स्तर की समितियों का गठन किया जाए तब यूनियन व महासंघ के प्रतिनिधित्व में संतुलन रखा जाना चाहिए ताकि भारतीय मजदूर संघ की एक संपूर्ण छवि सामने आ सके ।

13. आवश्यकता के समय यूनियनों व महासंघों में आपसी सहयोग के जीवंत उदाहरण स्थापित किये जाने चाहिए ।

14. महासंघों व यूनियनों के लैटर पैड, बैनर्स हैन्ड बिल, पोस्टर्स, प्रेस स्टेटमेंट एवं कार्यालय नामपट पर भारतीय मजदूर संघ का चिह्न व सम्बधता, अनिवार्य रूप से लिखी होनी चाहिए । वार्षिक रिटर्न में भी सभी यूनियनों व महासंघों को भारतीय मजदूर संघ से सम्बधता का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए । भारतीय मजदूर संघ के चिह्न के स्थान पर अथवा उसके साथ अन्य किसी भी चिह्न का मुद्रण नहीं होना चाहिए ।

15. महासंघों को, असंगठित श्रमिकों को संगठित करने एवं बनाये रखने की जिम्मेदारी यथा संभव अपने ऊपर लेनी चाहिए । महासंघ के जो कार्यकर्ता व सदस्य समय व शक्ति जुटा सकते हैं उन्हें भारतीय मजदूर संघ की स्थानीय इकाइयों की सहायता के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

हमारे व्यवहार में भोरतीय मजदूर संघ की विशेषताएं

1. नई यूनियनों के गठन के समय लम्बे चौड़े वायदा व आश्वासनों से नहीं अपितु विचारधारा व आचरण से हमें श्रमिकों को आकर्षित करना चाहिए ।
2. अधिकारीगण अथवा प्रबन्धकों से किये जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो शिष्ट हो ताकि किसी को अपमानित या दुःखी होने का अवसर न मिले ।
3. मांग पत्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसमें वही मांगे सम्मिलित की जाएं जो न्यायोचित व तर्कसंगत हों, मांगे केवल उठाने के लिए अथवा अन्य यूनियनों से प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं उठाई जानी चाहिए ।
4. अधिकारियों अथवा प्रबन्धकों के साथ बातचीत या वार्ता के दौरान घृणा या विद्वेष को प्रमुखता नहीं देनी चाहिए । वार्ता सद्भाव व मैत्रीयुक्त ढंग से की जानी चाहिए । असहमति अथवा मतभेद होने पर भी शिष्टता को नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।
5. व्यक्तिगत झगड़ों के मामले में हमें विश्वास हो कि कोई दुराचरण तो नहीं किया गया है और अगर किया भी गया हो तो वह अत्यंत मामूली है और व्यक्ति को समझाया-बुझाया जा सकता है कि दोबारा ऐसी गलती न हो, तभी उन्हें उठाया जाना चाहिए, वे मामले नहीं उठाए जाने चाहिए जहाँ बड़ा भारी दुराचरण हो, किन्तु इस अधिकार का प्रयोग अत्यंत सावधानी व विवेक से करना चाहिए ।
6. किसी भी विषय को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए, हमें ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहिए " अभी नहीं तो कभी नहीं ", की भावना के वशीभूत होकर कार्य नहीं करना चाहिए ।
7. नारे सार्थक एवं उपयुक्त शब्दों में हो, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नारे नहीं लगाए जाने चाहिए ।
8. गंदी गाली-गलोच वाली अथवा आवेशयुक्त भाषा का प्रयोग द्वार सभा या जनसभा में नहीं किया जाना चाहिए ।

9. हड़ताल हमारा अंतिम हथियार है । हमारे आन्दोलन अनुशासनपूर्ण होने चाहिए । तोड़फोड़ व हिंसा की निंदा की जानी चाहिए । व्यक्तिगत पूणा व बदले की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए । हिंसक घेराव को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए ।
10. यूनियन का रुपया पैसा केवल संगठन के कार्य पर ही खर्च करना चाहिए । व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।
11. हमारा संगठन व संस्था एक पार्टी न होकर परिवार की भान्ति हो अतः हमारा आचरण पारिवारिक ही होना चाहिए ।
12. पारिवारिक झगड़े जिस प्रकार सुलझाए जाते हैं? उसी प्रकार संगठन व संस्थागत समस्याओं का समाधान होना चाहिए । केवल तकनीकी व संवैधानिक प्रक्रिया से समाधान ढूँढना उचित नहीं होगा ।
13. सक्रिय कार्यकर्त्ताओं को समुचित रीति से कार्य करते हुए साधारण सदस्यों के सन्मुख आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए ।
9. यूनियन की सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त सदस्यों को प्रतिवर्ष भारतीय मजदूर संघ के लिए कुछ राशि सीधे ही देने के लिए प्रोत्साहित किया जाय ।
10. कर्मचारियों का मानस साधारणतया यूनियन को धन देने के पक्ष में होता ही है किन्तु उसके लिए उन्हें यह स्पष्ट कल्पना मिलनी चाहिए कि यूनियन की गतिविधियों तथा विस्तार के लिए इस धन की बड़ी आवश्यकता है और उस धन का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा इस प्रकार का विश्वास भी उनमें पैदा करना पड़ेगा ।
11. यूनियन का अपने नाम पर बैंक में खाता होना चाहिए जिसे कम से कम उसके दो पदाधिकारी संयुक्त रूप से चलाएं । प्राप्त धन के लिए रसीदें देनी ही चाहिए और उसका लेखा-जोखा रखा जाए ।
12. कैश-बुक तथा लैजरो को बिकूल सही तथा अच्छे ढंग से अद्यावत रखा जाए ।
13. खर्चों पर नियंत्रण रखा जाय तथा अधिकृत खर्चे ही किए जाए ऐसे सभी खर्चों के लिए उपयुक्त वौचर (व्यय विवरण पत्र) हो ।

14. जिन लोगों को खर्चे के लिए कुछ अग्रिम राशि दी जाती है उन्हें अपने खर्च का विवरण व्यय पत्र के साथ देना चाहिए ।

15. वर्ष के अन्त में, पावती तथा भुगतान (जावति) और आय-व्यय का ब्यौरा एवं वार्षिक लेखा-जोखा तैयार किया जाना चाहिए ।

6. एकाउण्ट की जाँच पड़ताल (आडिट) करवाई जाए ।

17. वित्तीय वार्षिक रिटर्न समय पर ही भेजी जाए ।

18. वित्त से सम्बन्धित निम्न पुस्तकों या खातों को उपयुक्त ढंग से रखा जाए ।

क. मशीन द्वारा नम्बर लगाई गई रसीदों की कार्बन वाली (डुप्लीकेट) रसीदों की पुस्तिकाये ।

ख. कैश बुक (रोकड़ा खाताबही)

ग. लैजर (खाताबही)

घ. बैंक की पास बुक, चेक काउण्टर फाईल

ङ. सदस्यता रजिस्टर

19. क्रमशः संख्या में लगे तथा तिथि अनुसार फाईल में लगे वौचर (व्यय-पत्र) । भारतीय मजदूर संघ तथा औद्योगिक महासंघ के बीच यूनियन की धन राशि का सभी स्तरों पर वितरण होना चाहिए । जब तक विधान में अधिक भाग का प्रावधान न हो तब तक वितरण इस प्रकार किया जा सकता है ।

(क) केन्द्रीय भारतीय मजदूर संघ को सम्बद्धता शुल्क के रूप में 5 प्रतिशत ।

(ख) अखिल भारतीय औद्योगिक महासंघ को सम्बद्धता शुल्क के रूप में 5 प्रतिशत ।

(ग) महासंघ (फैडरेशन) की प्रदेश यूनिट को अंशदान के रूप में 10 प्रतिशत ।

(घ) भारतीय मजदूर संघ के स्थानीय (शहर जिला) यूनिटों को 20 प्रतिशत ।

अपने काम के लिए यूनियन रुपये में से केवल 50 पैसे रखा करेगी ।

20. जहां सम्भव हो, यूनियन की संचित धन राशि सावधि जमा खातों (फिक्सड डिपॉजिट एकाउण्ट) में सही तौर पर लगायी जाए ।

21. स्मारिकाओं के माध्यम से धन एकत्रित करने की पद्धति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए ।

असंगठित श्रमिक

(1) न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्र के असंगठित मजदूरों को संगठित करने के सार्थक व लगातार प्रयत्न किए जाने चाहिए ।

(2) ऐसे असंगठित मजदूरों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए इसमें आईएलओ (ILO) का 141वां निष्कर्ष (CONVENTION) मोटेतौर पर सहायक हो सकता है । भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें हमें संशोधन भी करना पड़ सकता

(3) असंगठित श्रमिकों की पहचान के लिए कुछ बातें या पहलू ये हो सकते हैं- काम धन्धे का प्रकार, मालिक-मजदूर के पारस्परिक सम्बद्ध और जंगलों में काम करने वाले या पहाड़ी कबिले जैसे विशेष वर्ग असंगठित श्रमिकों के कुछ महत्वपूर्ण वर्ग निम्न प्रकार है :-

(क) कृषि मजदूर (ख) घरेलू कर्मचारी (ग) पशुपालन, डेरी (दुग्धशाला) भेड़ बकरी पालने वाले ग्रामीण मजदूर (घ) कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों में लगे लोग (च) रेशम उत्पादन करने वाले लोग (छ) बुनकर, कालीन बनाने वाले, दस्तकार (ज) परमकुशल दस्तकार (झ) मच्छुआरे (ट) घूम फिरकर मरे पशुओं की खालें एकत्रित करने, उन्हें रंगने तथा चमड़े के काम में लगे लोग (ठ) तेन्दु के पत्ते एकत्रित करने वाले, झाड़ जंगल काटने वाले, बीड़ी बनाने वाले (ड) पत्थरों को तोड़ने, भट्टे, अग्निसह मिट्टी (फायर क्ले) चूना खान, भवन एवम् अन्य निर्माण के कार्य में लगे लोग (त) ठेके पर काम करने वाले लोग (त) प्रवासी कर्मचारी (थ) लकड़ाजिंगलों में काम करने वाले (द) खण्डसारी व तेलपिलाई आदि के मजदूर (द) चरवाहे, मुर्गीपालक (प) मुरबा व अचार बन्दी में लगे (य) मंदिर, धर्मशालाओं के कर्मचारी, रिक्शा चालक (र) गांव में डाक पहुंचाने वाले एवं पोस्टल कर्मचारी, अखबार बेचने वाले न, धोबी, दर्जी, नाई (म) मिट्टी के बर्तन व खिलौने आदि बनाने वाले लोग ।

(4) इन मजदूरों को संगठित करने की दिशा में आने वाली कुछ कठिनाइयों, जिन पर सफलता (विजय) प्राप्त करनी है, निम्न प्रकार है: -

1) हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कृषि सम्बन्धी ढांचा जिस पर जमींदार और आजकल के धनी लोगों का प्रभुत्व है ।

2) ग्रामीण क्षेत्र के भिन्न हित सम्बन्ध वाले लोग जैसे किरायेदार, बटाईदार, सिमांतक किसान, निजी व्यवसाय वाले, भूमिहीन मजदूर इ.

(3) जाति संप्रदाय के बंधन

4) राजनैतिक गुटबाजी

5) वित्तीय साधनों की कमी

6) प्रशासकीय तथा वैधानिक सहायता की कमी

7) उनका विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होना ।

5) उपरोक्त कठिनाइयों के समाधान के लिए निम्न कार्य सहायक हो सकते हैं:

क) प्रभावी भूमि सुधार

ख) ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों की कर्ज से पूरी मुक्ति

ग) रोजगार की गारंटी

घ) ग्रामीण मजदूरों, विशेषकर खेती के काम करने वाले मजदूरों के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून

6) मछलीपालन आजकल बड़ी तेजी से आधुनिक व उद्योग-पूरक होता जा रहा है । इस दृष्टि से मच्छुआरों को संगठित करने पर विचार करना चाहिए ।

7) बंधुआ मजदूरों की खोज, मुक्ति तथा पुनर्वास यह साथ-साथ ही किया जाना चाहिए!

8) प्रारंभ में निम्न क्षेत्रों में काम शुरू किये जा सकते है : -

क) कृषि विश्वविद्यालय के फार्मों में

ख) सरकारी फार्मों में

न) अनुसंधान संस्थानों के फार्मों में

घ) जनजातियों के कामगारों में

च) धनी जमींदारों के बड़े-बड़े फार्मों में काम करने वाले मजदूरों में

इन लोगों की यूनियनों के पंजीकरण का काम जल्दी ही किया जाना चाहिए ।

9) उक्त काम में संगठित क्षेत्र के मजदूरों को निम्न प्रकार सहायता करनी चाहिए :

क) असंगठित कामगारों को संघबद्ध करने एवं संगठित रखने के लिए अपने चंदे का एक भाग अलग से रखना ।

ख) असंगठित मजदूरों के किसी वर्ग का उनके क्षेत्र में ही पूर्ण विकास करने हेतु अपना लेना (गोद लेना) ।

ग) ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के संगठनों से परस्पर संपर्क रखना ।

संयुक्त मोर्चा

1) भारतीय मजदूर संघ के लिए कामगारों का हित सर्वोपरि है और हमें इसी दृष्टि से ही संयुक्त मोर्चा या संयुक्त संघर्ष के विषय पर विचार करना चाहिए ।

2) संयुक्त मोर्चे का अर्थ है संयुक्त विचार विमर्श, संयुक्त निर्णय और संयुक्त कार्यवाही हमें इन सभी बातों पर जोर देना चाहिए ।

3) यद्यपि हमें सिद्धांत के मामलों में पक्का रहना चाहिए, फिर भी संयुक्त मोर्चे के सभी भागीदारों को एक साथ रखने में लचीला (भाव) रखना चाहिए ।

4) समय-समय पर संख्या, वक्ता, धन, प्रबन्ध आदि की स्वीकृति जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाकर अपनी विश्वसनियता बनाये रखनी चाहिए ।

- 5) चरित्र तथा सद्व्यवहार के मान्य कोड (संहिता) की सीमा में रखते हुए हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन बैनरों, झण्डों, टोपियों, नारों और भाषण आदि से करना चाहिए। यदि अन्य पार्टिया या सहयोगी, इस संहिता का उल्लंघन करे तो हमें उसे न केवल बर्दाश्त करना चाहिए बल्कि उपयुक्त नारों व भाषणों आदि से अपनी प्रतिक्रिया तुरंत दिखानी चाहिए। हमें स्वार्थी अथवा बहुत तंगदिली वाला भी नहीं होना चाहिए। किंतु भोलेपन का व्यवहार भी नहीं करना चाहिए।
- 6) संयुक्त मोर्चे में रखते हुए यदि हमें किसी स्तर पर किसी सहयोगी का विरोध, उचित कारणों से करना पड़े तो हमें उसमें भी नहीं झिझकना चाहिए।
- 7) अपने स्वच्छ बर्ताव अच्छे सम्बन्धों से हमें अन्य संगठनों के सदस्यों या कार्यकर्त्ताओं को प्रभावित करने का प्रयत्न करना चाहिए।
- 8) परिपक्व होने के नाते हमें यह निर्णय करने के योग्य होना चाहिए कि कामगारों के हित को सर्वोपरि रखते हुए कब संयुक्त मोर्चे में शामिल हों या कब समांतर कार्यवाही करें या अन्य संगठनों की कुछ बातों का कब विरोध करें।
- 9) मजदूरों में तीव्र असंतोष के कारण बनने वाली समस्याओं को सुलझाने हेतु अविलंब कार्यवाही करने में हमें पहल करनी चाहिए ताकि केवल पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धी या राजनैतिक दलगत स्वार्थ हेतु कार्यवाही का विरोध करने वाले संगठन या व्यक्तियों का भंडाफोड हो और मजदूर हित व राष्ट्र हित को ही प्रधानता देने वाले अपने भारतीय मजदूर संघ के पीछे मजदूरों की ताकत खड़ी हों।
- 10) संयुक्त मोर्चे के समय जब कभी धन एकत्रित करने का प्रश्न पैदा हो तो प्रत्येक सहयोगी संगठन स्वतंत्र रूप से धन एकत्रित करें और खर्च भी निर्धारित कामों के लिए स्वतंत्र रूप से करे किंतु उसके लिए सही-सही लेखा-जोखा रखने पर बल देना चाहिए।
- 11) हमें छोटे संगठनों की बड़ी-बड़ी बातों, वायदों तथा आश्वासनों में नहीं बहना चाहिए बल्कि परिस्थिति की वास्तविकताओं के आधार पर निर्णय लेने चाहिए।
- 12) जब हम इकाई (यूनिट) स्तर पर काफी मजबूत है तब हमें अपनी शक्ति पर ही संघर्ष चलाना चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए।

संशोधित लेखा पद्धति एवं वित्त व्यवहार

- विशद लेखा पद्धति तथा अन्य समस्त बिन्दुओं की अनुपालना सभी प्रदेश एवं औद्योगिक इकाईयाँ प्राथमिकता के आधार पर तथा कड़ाई से शीघ्र करें ।
- कैश बुक, लेजर, अन्य रजिस्टर्स, एकाउन्ट स्टेटमेंट्स, सदस्यता शुल्क देने वाले संगठनों की निधारित नमूने के अनुसार सूची आदि से सम्बन्धित सकल कार्य समय पर हो । इसके लिए स्वयंसेवी कार्यकर्ता उपलब्ध न हो तो मानधन देकर पूर्णकालीन या अंशकालीन कार्यकर्ता की व्यवस्था अविलम्ब करें ।
- जिस दिन वित्तीय लेन-देन होगा उसी दिन की प्रविष्टियाँ कैश बुक में हो तथा शेष राशि (हस्तस्थ एवं बैंक में) तुरन्त लिखी जाए । यह अत्यावश्यक है । यदि एक से अधिक बैंकों में खाते हैं तो सभी बैंकों की एकत्र राशि 'बैंक में शेष राशि के खाने में लिखें तथा महीने के अन्त में उस का विवरण दें ।
- प्रदेश एवं औद्योगिक इकाईयाँ अपनी-अपनी कार्य समिति की बैठक में पूर्व बैठक के पश्चात के कालावधि के महीनों का एकत्रित आमद एवं भुगतान विवरण लिखित स्वरूप में प्रस्तुत करें । कार्य समिति द्वारा स्वीकृत ऐसे विवरण की एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि, प्रदेश एवं औद्योगिक इकाईयाँ सम्बन्धित बैठक के कार्यवृत्त के साथ केन्द्र को नियमित भेजें ।
- यह 'आमद-भुगतान' विवरण संशोधित लेखा पद्धति की पुस्तिका में दिए गए लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत ही बनें । आवश्यकतानुसार अन्य लेखा शीर्षक भी बनाये जा सकते हैं ।
- प्रति वर्ष गत वर्ष के लेखा का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा करवा कर 'आय-व्यय विवरण' एवं 'स्थिति-विवरण (बैलेन्स शीट) की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि, विस्तृत अंकेक्षण-प्रतिवेदन के साथ, केन्द्र को शीघ्र भेजें । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट केवल व्यवसायिक ही न हो । उसे अपने कार्य के प्रति सहानुभूति भी हो । उसे संशोधित लेखा पद्धति पुस्तिका दे कर उससे कहा जाए कि उस पुस्तिका में दिए गये निर्देशों के अनुसार अंकेक्षण हो तथा ऑडिट रिपोर्ट दे ।

- जिला इकाईयों के लिए प्रदेश ही रसीद पुस्तकें छपवाये । इन पुस्तकों में प्रत्येक रसीद की तीन प्रतियाँ हो । प्रथम प्रति प्रदाता के लिए, दूसरी प्रदेश के लिए तथा तीसरी जिला कार्यालय के लिए हो । दूसरी प्रतियाँ मासिक 'आमद-भुगतान विवरण के साथ संलग्न कर, जिला इकाई प्रदेश को प्रति माह भेजेगी । मासिक आमद-भुगतान विवरण का नमूना पृष्ठ 5 पर देखें । जिला इकाईयों द्वारा यह पद्धति शीघ्र कार्यान्वित हो ।
- जो प्रादेशिक पदाधिकारी प्रदेश में बार-बार प्रवास करते हैं उन्हें अपने साथ स्थायी पावतियों की पुस्तक रखनी चाहिए । प्रवास में उन्हें जो भी राशि मिलेगी उसके लिए ये पदाधिकारी संबंधित वाउचर पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे अपितु अस्थायी रसीद तुरन्त देंगे तथा प्रदेश मुख्यालय पहुँचने पर वहाँ से कार्यालयी स्थायी रसीद बनवाकर संबंधित कार्यकर्ता को भिजवायेंगे । अस्थायी रसीद की कार्बनकॉपी पर कार्यालयी स्थायी रसीद का क्रमांक तथा स्थायी रसीद पर अस्थायी रसीद का क्रमांक लिखना उचित होगा ।
- प्रत्येक वाउचर पर अनुक्रमिक संख्या (क्रमांक) तुरन्त लिखें । संख्या का यह अनुक्रम पूरे वर्ष के लिए (1 जनवरी से 31 दिसम्बर) अखण्ड रहे ।
- हर आमद के लिए अधिकृत रसीद तथा हर भुगतान के लिए विवरण युक्त वाउचर, इस सूत्र का अनुपालन हो ।
- कार्यकर्ता को विशिष्ट प्रयोजन के लिए अग्रिम देते समय जैसे वाउचर बनाया जाता है वैसे ही अग्रिम का निपटारा होने पर अग्रिम की पूरी राशि की रसीद भी अग्रिम लेनेवाले कार्यकर्ता को उसके नाम पर बनाकर देनी चाहिए ।
- श्रमिक संगठनों के लिए 'वित्त वर्ष' जनवरी से दिसम्बर होता है । अतः प्रदेश, औद्योगिक इकाईयाँ, अपंजीकृत परिसंघ आदि सब अपना वार्षिक लेखा ऐसे ही वित्त वर्षों के लिए बनाते रहें ।

- आंतरिक अंकेक्षण की समुचित व्यवस्था प्रदेशों द्वारा शीघ्र हो । यह व्यवस्था अपना कार्य प्रारंभ करें तथा जिला इकाईयों एवं प्रादेशिक फेडरेशनों के अंकेक्षण को प्राधान्य दें ।

केन्द्र को नियमित भेजने के दस्तावेजों की सूची

प्रदेश एवं अभा. औद्योगिक इकाईयाँ

1. चार्टर्ड एकाउन्टन्ट द्वारा ऑडिट किए गए वार्षिक आय-व्यय विवरण तथा स्थिति विवरण (बैलेन्स शीट) बकाया ऋण अग्रिम की सूची तथा ऑडिट रिपोर्ट के साथ - प्रतिवर्ष ।
2. कार्य समिति बैठक में प्रस्तुत गत महीनों की आमद एवं भुगतान का विवरण- बैठक के कार्यवृत्त के साथ- प्रत्येक कार्य समिति बैठक के पश्चात ।

केवल प्रदेश

3. सम्बद्धता शुल्क देने वाले संगठनों की सूची, केन्द्र के परिपत्र क्रं. भामस/ए- 45- नाग/96 दि. 26 जून, 96 में उल्लेखित नमूने के अनुसार-सम्बद्धता शुल्क के साथ ।
4. सम्बद्धता शुल्क न देने वाले सक्षम संगठनों की सूची उपरोक्त परिपत्र के अनुसार ।

कार्यान्वयन

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्न बिंदु विचारार्थ एवं कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत हैं-

1. यह तो सब जानते हैं कि प्रत्येक पंजीकृत संगठन से केन्द्र के लिए सम्बद्धता शुल्क संकलित करने का दायित्व सामान्यतः भामसंघ की प्रदेश इकाईयों की ओर सौंपा गया है । उन्हें यह दायित्व निष्ठापूर्वक निभाना है ।
2. अखिल भारतीय औद्योगिक इकाईयाँ दायित्व से मुक्त हैं । उनका दायित्व केवल इतना ही है कि उनके दायरे में आने वाले सभी संगठनों से उनका अपना-अपना सम्बद्धता शुल्क संबंधित प्रदेशों को प्रति वर्ष नियमित दिलायें- देने को बाध्य करें । वे यह भी सुनिश्चित

कर लें कि प्रत्येक संगठन द्वारा सम्बद्धता शुल्क प्रदेशों को दिया गया है तथा उसकी अधिकृत रसीद उसने प्राप्त कर ली है। प्रत्येक सम्बद्ध संगठन द्वारा पूरे वर्ष में सदस्यता शुल्क की जो संपूर्ण राशि संकलित की होगी उस राशि का 5 % अंश प्रदेशों द्वारा सम्बद्धता शुल्क के रूप में केन्द्र के लिए प्राप्त करना है। उर्वरित 95% राशि का विनियोग संगठन, प्रदेश एवं औद्योगिक इकाईयाँ समुचित तालमेल द्वारा सूत्र बना कर करें। यह सूत्र बनाते समय प्रत्येक ने दूसरों की आवश्यकता का समुचित ध्यान रखना होगा। सदस्यता शुल्क राशि का 5% अंश यदि रु. 100/- से कम होता हो तो केन्द्र के लिए निम्नतम रु० 100/- सम्बद्धता शुल्क के रूप में लेना है।

4. प्रत्येक अपने अपने प्रदेश में स्थित पंजीकृत संगठनों का निम्नानुसार वर्गिकरण कर प्रत्येक वर्ग के संगठनों की सूची बनाये तथा एक प्रति-लिपि केन्द्र को भी भेजे।

(1) वितीय दृष्टि से पूर्ण सम्बद्धता शुल्क देने में सक्षम संगठन।

(2) न्यूनतम सम्बद्धता शुल्क देने की ही क्षमता रखने वाले संगठन।

(3) ऐसे संगठन जो सक्रिय तो हैं पर न्यूनतम सम्बद्धता शुल्क भी नहीं दे सकते।

(4) अस्तित्व होते हुए भी जो सक्रिय नहीं है ऐसे संगठन।

(5) ऐसे संगठन जिन से सम्बन्धित उद्योग गत कुछ वर्षों से बन्द हैं।

(6) प्रत्येक अ. भा. औद्योगिक इकाई (महासंघ) उसके दायरे में कार्यरत पंजीकृत संगठनों की सूची प्रदेश से बनाकर शीघ्र भेजेगी। सूची में संगठन का नाम, पंजीकृत क्रमांक, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक, सम्बद्धताक्रमांक एवं दिनांक तथा मुख्यालय का पता समाविष्ट हो।

(7) सम्बद्धता एवं सम्बद्धता शुल्क रजिस्टर प्रदेशों द्वारा सदा अध्याविक रखना है। यह रजिस्टर बनाने के लिए केन्द्र द्वारा तिरुपति कार्य समिति बैठक (जनवरी, 1995) के समय प्रदेश महामंत्रियों को छपे हुए फॉर्म दिए गये थे। यह रजिस्टर प्रदेशों को सदा जानकारी देता रहेगा कि कौन-कौन से संगठन निर्धारित शुल्क का नियमित भुगतान करते हैं, कौन-कौन से अनियमित देते हैं, कौन-कौन से संगठन सम्बद्धता शुल्क कम देते हैं, कौन-कौन से न्यूनतम देते हैं, कौन-कौन से देते ही नहीं, इत्यादि। इस जानकारी के

आधार पर आवश्यक उपाय की दिशा निश्चित करना सुकर होगा तथा केन्द्र को भी जानकारी मिलेगी ।

(8) सम्बद्धता शुल्क देने की वित्तीय क्षमता होते हुए भी जो संगठन उसका भुगतान टालते हैं ऐसे संगठनों की सूची के साथ, प्रदेश प्रति वर्ष केन्द्र को अवश्य भेजेंगे । इस विषय से सम्बन्धित विस्तृत विवरण केन्द्र के परिपत्र क्र. भामस/ए- 45/नाग/96 दि, 26. 6. 96 में दिया है । इस परिपत्र की प्रतिलिपियाँ प्रदेश महामंत्रियों को जुलै में हुई प्रादेशिक बैठकों में पुनः वितरित की थी । केन्द्र ऐसे संगठनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रदेश की सलाह से ही करेगा ।

(9) जिन अभा. औद्योगिक इकाईयों से सम्बन्धित संगठन प्रदेशों के पास सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं करते ऐसी अभा. औद्योगिक इकाईयों के नाम सम्बन्धित संगठनों की सूची के साथ प्रत्येक प्रदेश केन्द्र को भेजे । ताकि इस समस्या को सुलझाने में केन्द्र को आसानी हो ।

(10) वर्तमान में केन्द्र को सम्बद्धता शुल्क का भुगदान करने की विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं । एक ही समान पद्धति रूढ़ करने के प्रयास जारी हैं । आय-व्यय पत्र में सम्बद्धता शुल्क का विवरण निम्नानुसार हो :

(1) सम्बद्धता ग्रहण करने वाले नये संगठनों से प्राप्त-

(2) पुराने सम्बद्ध संगठनों से प्राप्त-

वित्तीय स्वावलम्बन एवं सुसम्पन्नता (तृणमूल संगठन से केन्द्रीय भामसंघ तक)

पृष्ठभूमि :

भा.म.संघ की कुछ प्रादेशिक-इकाईयों तथा अ.भा. औद्योगिक इकाईयों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है । इसके विभिन्न दुष्परिणाम भी दिखाई देते हैं । जैसे-

- कार्य का सुचारु रूप से विकास एवं विस्तार करने में बाधा ।

- समुचित संख्या में सुयोग्य पूर्णकालीन-कार्यकर्त्ताओं का न होना ।
- साधन-समृद्ध कार्यालय तथा प्रभावी कार्यालयीन-कार्य का अभाव ।
- संगठनात्मक दौरे करने में दिक्कत ।
- केन्द्र के सम्बद्धता शुल्क की राशि का प्रदेशों के कार्य में व्यय ।
- कार्य के सुप्रभाव एवं सुपरिणामों पर विपरीत असर, इत्यादि ।

सुझाव : उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सभी संगठनों एवं इकाईयों की वित्तीय सुदृढ़ होना नितान्त आवश्यक है । इस दृष्टि में रखे गए निम्न सुझावों का कार्यान्वयन अत्यावश्यक है ।

- प्रदेश एवं औद्योगिक इकाईयाँ पंजीकृत संगठनों को अपने-अपने सभी सदस्यों से सदस्यता शुल्क नियमित रूप से पूर्णतः वसूल करने को प्रेरित करें ।
- संकलित सदस्यता शुल्क संगठन के कोष में पूर्णतः या निर्धारित अंश में शीघ्र जमा हो । इसमें विलम्ब न हो ।
- मितव्ययिता । व्यय पर प्रभावी नियंत्रण । अनावश्यक अनुचित व्यय न हो । आय-व्यय का नियमित लेखा, उस पर नियमित देखरेख ।
- सदस्यता शुल्क की वार्षिक दर श्रमिकों की आय को ध्यान में रखकर समुचित वृद्धि। वर्ष 2000 तक यह दर प्रति वर्ष रु 60/- करने की अनुरूप योजना।
- धन की सुरक्षा एवं संरक्षा
- प्रदेश द्वारा, प्रत्येक सक्षण संगठन से केन्द्र के लिए, 5% सम्बद्धता शुल्क की दृढ़ता से वसूली । अ.भा. औद्योगिक इकाईयों द्वारा अदायगी का सत्यापन ध्यान रहे, केन्द्रीय भा.म. संघ को 5% सम्बद्धता शुल्क दिये बिना अपने लिये सम्बद्धता शुल्क वसूलने का अधिकार किसी को भी नहीं है ।
- प्रदेशों एवं औद्योगिक इकाईयों द्वारा, एक दूसरे का समुचित ध्यान रखकर वसूली की जाये।
- उपरोक्त भुगतान टालने वाले सक्षम संगठनों के प्रति सतर्कता । वसूली के लिये अविरत प्रयास तथा केन्द्र को जानकारी देना ।

- वर्ष में सुयोग्य अवसर पर कम से कम एक बार सदस्यों से भा.म. संघ के लिये धन संग्रह ।
- संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप मालिका-प्रबन्धक के साथ हुए समझौते से जब श्रमिकों को वेतन, भत्ते आदि में की गयी वृद्धि की संचित राशि का भुगतान होगा तब संगठन ने अपने लिए समुचित अंश का संकलन करना। प्रादेशिक परिसंघों या बड़े संगठनों के अधिवेशनों के समय संकलित अधिवेशन शुल्क से समुचित अंश का केन्द्र एवं प्रदेश को भुगतान (सामान्यतः प्रति प्रतिनिध 5-5 रुपये)
- स्मारिका को हमारी आय का स्रोत न बनाना अच्छा होगा।
- केन्द्र की पूर्व अनुमति से प्रकाशित स्मारिका में छपे विज्ञापनों की कुल राशि का 5% केन्द्र को तथा उतना ही प्रदेश को प्रदान करना।
- समितियों पर नियुक्त प्रतिनिधियों से समिति बचत का नियमित संग्रालय केन्द्र ने उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों से तथा प्रदेशों ने उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों से ।
- केन्द्र के लिए संकलित सम्बद्धता शुल्क की राशि का प्रदेशों द्वारा केन्द्र को सम्पूर्ण भुगतान । उस राशि का अपने लिए (पूर्ण या आंशिक) उपयोग करने का मोह त्याग कर प्रदेशों द्वारा उपरोक्त संसाधनों को अपनाना ।
- धन की आसक्ति तथा अधिकाधिक धन का अनावश्यक संग्रह करने की लिप्सा का त्याग ।
- अनावश्यक अतिरिक्त धन का, अभावग्रस्त संगठनों-इकाईयों की सहायता में, उपयोग कर भामसंघ की कार्यवृद्धि में अपना श्रेष्ठ सहयोग देना ।
- केन्द्र, प्रादेशिक इकाईयों तथा औद्योगिक इकाईयों की आय का मुख्य स्रोत सम्बद्धता शुल्क ही है । यह स्रोत सदस्यता शुल्क पर निर्भर है । अतः हम दोनों इकाईयों का यह प्रखर प्रयास रहे कि उनसे सम्बन्धित प्रत्येक संगठन अपने- अपने प्रत्येक सदस्य से पूर्ण सदस्यता शुल्क प्राप्त करें । तभी यह स्रोत अक्षुण्ण रहेगा ।
- अपने संगठन को पैसे देने की प्रेरणा सदस्यों में तभी बनी रहेगी जब उन्हें यह विश्वास होगा कि उनके संगठन को पैसे की आवश्यकता है तथा उसे दिए गये पैसे का सदुपयोग ही होगा अपव्यय नहीं ।

Digitised By Swadeshi Vichar Kendra

B-708, Marwar Apartment,
14-E, Chopasani Housing Board,
Jodhpur 342008, Rajasthan

email: thehinduway@gmail.com

mob. 9414126770

ph. 0291-2710123

Please Help the Website By sending us Shradhyaya Dattopant Thengadi's Books,
Audios, Videos, Photos, Letters, Articles, etc.

विनम्र निवेदन

श्रद्धेय दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी की पुस्तकें, ऑडियो भाषण, वीडियो, फ़ोटो, लेख, पत्र आदि भेज कर
वेब साईट के लिए सहयोग करें।